आवेदन प्रपत्र

राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम १९५८ के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के
अन्तर्गत संस्था पंजीकृत कराने हेतु आदर्श

विधान (नियमावली)

तथा

संघ- विधान पत्र

कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें :

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ विधान पत्र केवल मार्ग दर्शन के लिए है। संस्था के उद्देश्यों व कार्यक्षेत्र के अनुसार इसके अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ही मान्य होगा।

2. प्रबन्धकारिणी में सृजित पद संस्था के अनुरूप घटाये या बढ़ाए जा सकते हैं पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं।

3. संस्था के उद्देश्य अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होना आवश्यक है। सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है।

4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जानी है।

5. प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन-तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।

6. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 5 पर उनके व अन्य सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावें। यह भी ध्यान रखें कि कम से कम 7 सदस्यों पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी।

7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करावें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिये।

प्रभु नारायण मीणा   राजेन्द्र कुमार मीणा   भागचन्द मी.

8. अनावश्यक को काट कर लघु हस्ताक्षर करें।

धारा–20

9. संस्थाएं जिनका इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण किया जा सकेगा :— पूर्व प्रयोजनों के लिए स्थापित संस्थाएं, सैनिक, अनाथ निधियां, साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं के उन्नयन के लिये स्थापित संस्थाएं, सदस्यों के सामान्य उपयोग या जनता के लिये पुस्तकालय या वाचनालय की स्थापना या निर्वहण के लिये या सार्वजनिक अजायबघरों तथा चित्रकारी एवं अन्य कलाकृतियों की दीर्घाओं की स्थापना या निर्वहण के लिये स्थापित संस्थायें, प्राकृतिक इतिहास के संग्रह और यान्त्रिक और दार्शनिक आविष्कारों उपकरणों या डिजाइनों के लिये स्थापित संस्थायें।

प्रभु नारायण मीणा
अध्यक्ष

राजेन्द्र कुमार मीणा
मंत्री

भाग चन्द मीणा
कोषाध्यक्ष

ग्राम विकास समिति चौरड़ी समिति/~~सोसाइटी~~/~~संस्थान~~/संस्था दौसा

संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम ग्राम विकास समिति चौरड़ी (दौसा) समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय ग्राम चौरड़ी पो. सैंथल त. दौसा जिला दौसा (राज.) 303507 है। तहसील दौसा क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :—

1. यह संस्था समाज से नशाखोरी, दहेज प्रथा, बाल विवाह आदि पर रोक लगाना।

2. खेल कूद प्रतियोगिता आयोजन व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन

3. ग्राम में सफाई जल रोशनी पुस्तकालय वाचनालय आदि की व्यवस्था करने का कार्य करना मेलों का आयोजन करना

4. अनौपचारिक शिक्षा, साक्षरता, पर्यावरण आदि, वन रक्षा का कार्य करना।

5. महिलाओं का विकास और शिक्षा के लिए भी करेंगे।

6. संस्था के कार्यक्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण कार्य कराना जैसे सड़क खुर्रा भवन नालियों आदि।

7. अन्य कार्य कृषि के विकास व्यापार एवं लोक कल्याण कारी कार्य

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

प्रभु नारायण मीणा राजकुमार मीणा भाग चन्द मीणा

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :—

क्र सं.	नाम व पिता का नाम	आयु	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	प्रभु नारायण मीणा	(२६)	अध्ययन	ग्राम चौरड़ी पोस्ट सैंथल	अध्यक्ष
	S/o गोर्धन "			तहसील दौसा	
2.	सोमाणी लाल मीणा	(२५)	"	जिला दौसा	उपाध्यक्ष
	S/o सुन्दर लाल "			(राजस्थान)	
3.	~~भगवान~~/राजू कुमार मीणा	(२१)	"	303507	मन्त्री
	S/o राम जी लाल "				उपमन्त्री
4.	परस राम मीणा	(२२)		" "	कोषाध्यक्ष
	S/o प्रभु दयाल मीणा				
5.	भागचन्द मीणा	(२१)	"	" "	सदस्य
	S/o जगदीश प्रसाद "			" "	"
6.	गजोड़ मल मीणा	(२६)			
	S/o भगवान सहाय "				"
7.	तोफीसिंह मीणा	(२३)	अध्ययन	" "	
	S/o सोहन "				
8.	मंगल राम मीणा	(२९)	कर्मचारी	" "	"
	S/o रामचरण "				
9.	जगन्नाथ मीणा	(२०)	अध्ययन		"
	S/o रामफूल "				"
10.	बिहारी लाल मीणा	(२३)	कृषि		
	S/o छोटू लाल "				
11.	मोती लाल मीणा	(२१)	अध्ययन		"
	S/o रमसी लाल "				

भाग चन्द मीणा

प्रभु नारायण मीणा   राजू कुमार मीणा

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान पत्र के अंतर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :—

क्र.सं.	सदस्य (प्रार्थी) का नाम	आयु	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1	प्रभु नारायण मीणा S/. गोर्वधन लाल मीणा	20	अध्ययन	ग्राम चौरेड़ी पोस्ट सैंथल तहसील व जिला दौसा (राजस्थान) 303507	प्रभु नारायण मीणा
2	सोमाणी लाल मीणा S/. सुन्दर लाल मीणा	24	" "		[signature]
3	राजूकुमार मीणा S/. रामजी लाल मीणा	21	"		राजूकुमार मीणा
4	परसराम मीणा S/. प्रभु दयाल मीणा	22	"	" "	परसराम मीणा
5	भागचन्द मीणा S/. जगदीश प्रसाद मीणा	21		" "	भागचन्द मीणा
6	कजोड़ मल मीणा S/. भगवान सहाय मीणा	23		" "	कजोड़ मल मीणा
7	लोप सिंह मीणा S/. सोदान मीणा	30	अध्यापक	" "	[signature]
8	मंगल राम मीणा S/. रामधन मीणा	29	कर्मचारी	" "	[signature]
9	रघुनाथ मीणा S/. रामफूल मीणा	20	अध्ययन	" "	रघुनाथ मीणा
10	मोती लाल मीणा S/. रामसी लाल " "	21	"	" "	मोती लाल मीणा
11	बिहारी लाल मीणा S/. छीतर लाल मीणा	23	कृषि	" "	बिहारी लाल मीणा

प्रभु नारायण मीणा   राजूकुमार मीणा   भागचन्द मीणा

क्र.सं.	नाम/पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
12	घनश्याम शर्मा (24) S/ चिरंजी लाल शर्मा	अध्यापक	" "	घनश्याम शर्मा
13	रामकिशोर मीणा (23) S/ हरिनारायण " "	"	" "	रामकिशोर
14	महेन्द्र कुमार मीणा (19) S/ रामकिशोर " "	"	" "	महेन्द्र कुमार
15	ओमप्रकाश महावर (25) S/ लालू राम महावर	कृषि	" "	ओमप्रकाश महावर

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर किये है। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

तहसीलदार महुवा दौसा (राज०)

तहसीलदार सिकराय दौसा (राज.)

1. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

2. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

ATTESTED 5/9/1
NOTARY PUBLIC
Distt. DAUSA

Attested

प्रधानाचार्य
राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय
... (दौसा) कोड 91/370028

(1) ... का ... 17/अगस्त/96
(2) संस्था का नाम ग्राम विकास समिति चौर
(3) ... 38 ... क ...
(4) दस्तावेज की ...
(5) दिनांक पंजियन 12-8-96
(6) हस्ताक्षर रजिस्ट्रार ...

भाग चन्द मीणा

प्रभु नारायण मीणा

राजू कुमार मीणा

नाम संस्था ग्राम विकास समिति चौरड़ी .... समिति/~~सोसाइटी/संस्थान/संस्था~~ ह० दौसा

विधान (नियमावली)

1. **संस्था का नाम** : इस संस्था का नाम ग्राम विकास समिति चौरड़ी (दौसा) समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. **पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र** : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय ग्राम चौरड़ी पो० सैंथल तहसील दौसा जिला दौसा (राज०) 303507 है तथा इसका कार्यक्षेत्र तहसील दौसा .... क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. **संस्था के उद्देश्य** : इस संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :—

1– नशाखोरी, दहेज प्रथा बाल विवाह पर रोक लगाना।

2– खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन, सांस्कृतिक कार्य क्रमों का आयोजन।

3– ग्राम में सफाई, रोशनी, हस्तकाल, वाचनालय आदि की व्यवस्था करना, मेलों का आयोजन करना।

4– अनौपचारिक शिक्षा, साक्षरता, पर्यावरण, आदि वन रक्षा का कार्य करना।

5– महिलाओं की विकास शिक्षा के लिए भी कार्य।

6– सार्वजनिक निर्माण कार्य करना जैसे:- सड़क, खुरा, भवन नालियां आदि।

7– कृषि का विकास करना न्याय सम्बन्धी कार्य एवं लोक-कल्याणकारी कार्य।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं हैं।

प्रभु नारायण मीणा   राजकुमार मीणा   भाग चन्द मीणा

4. सदस्यता : निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे।

1–संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।

2–बालिक हो।

3–पागल, दीवालिये न हों।

4–संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।

5–संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. सदस्यों का वर्गीकरण : संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :—

1–संरक्षक

2–विशिष्ठ

3–सम्माननीय

4–साधारण

(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)।

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा : उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :—

1–संरक्षक	राशि....२०.........वार्षिक/आजन्म	
2–विशिष्ठ	राशि......१५..........वार्षिक/आजन्म	
3–सम्माननीय	राशि......१०............वार्षिक	
4–साधारण	राशि......५....... ... .वार्षिक	

ज्ञान चन्द मीणा

प्रभु नारायण मीणा

राजकुमार मीणा

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु० ....25/-........
की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी ।

7. **सदस्यता से निष्कासन** : संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :—

1—मृत्यु होने पर

2—त्याग पत्र देने पर

3—संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर

4—प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा ।

8. **साधारण सभा** : संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे ।

9. **साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य** : साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगे ।

1—प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना ।

2—वार्षिक बजट पारित करना ।

3—प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पष्टि करना ।

प्रभु नारायण मीणा — राजकुमार मीणा — ताराचन्द मीणा

4—संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना।
(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लागू होगा)

10. साधारण सभा की बैठकें : 1—साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2—साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।

3—बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

4—कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुन: 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।

5—संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्व मान्य होंगे।

11. कार्यकारिणी का गठन : संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :—

1-अध्यक्ष—एक 2-उपाध्यक्ष— एक

3-मन्त्री—एक 4-कोषाध्यक्ष—एक

5-सदस्य—सात

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में..........5..........पदाधिकारी व

.......10.......सदस्य कुल......15.....सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन : 1–संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।

2–चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

3–चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कर्यकारिणी के अधिकार और कर्त्तव्य : संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होंगे :—

1–सदस्य बनाना/निष्कासित करना।

2–वार्षिक बजट तैयार करना।

भाग चन्द मीणा

प्रभु नारायण मीणा राजू कुमार मीणा

3–संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करनाँ।

4–वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना, सेवा मुक्त करना।

5–साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।

6–कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।

7–अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

14. कार्यकारिणी की बैठकें :

1–कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2–बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

3–बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

4–कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों

के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अकधिार व कर्त्तव्य : संस्था की प्रवन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे :—

1—अध्यक्ष

1—बैठकों की अध्यक्षता करना।

2—मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।

3—बैठकें आहूत करना।

4—संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

5—संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2—उपाध्यक्ष :

1—अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

2—प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3—मन्त्री :

1—बैठकें आहूत करना।

2—कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

प्रभु नारायण मीणा

भागचन्द मीणा

राजकुमार मीणा

3–आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।

4–वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।

5–संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

6–पत्र व्यवहार करना।

7–सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4–उपमन्त्री :

1–मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संपादित करेंगे।

2–अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

5–कोषाध्यक्ष :

1–वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।

2–दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।

3–चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

4–अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :

1–चन्दा

2–शुल्क

3–अनुदान

4–सहायता

5–राजकीय अनुदान

1–उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जायेगी।

2–अध्यक्ष / मन्त्री / कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन देन संभव होगा।

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार : संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे :–

1–अध्यक्ष ....रु०

2–मन्त्री ....रु०

3–कोषाध्यक्ष ....रु०

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. संस्था का अंकेक्षण : संस्था के समस्त लेखां जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा।

19. संस्था का विधान में परिवर्तन : संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. **संस्था का विघटन :** यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित करदी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

21. **संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण :** रजिस्ट्रार संस्थाएं......दौसा......... को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) ग्राम विकास समिति चौरड़ी (दौसा) समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था की सही व सच्ची प्रतिलिपि है।

(1) संस्था का पंजियन क्रमांक 47/दौसा/96-97
(2) संस्था का नाम ग्राम विकास समिति चौरड़ी
(3) किस्त दस्तावेज़ नियमावली
(4) दस्तावेज की संख्या 16
(5) दिनांक पंजियन 12-8-96
(6) हस्ताक्षर रजिस्ट्रार ......

प्रभुनारायण मीणा
अध्यक्ष

राजकुमार मीणा
मन्त्री

भाग चन्द मीणा
कोषाध्यक्ष

ग्रामीण विकास युवा संस्थान, सैंथल, दौसा

संशोधित विधान

क्र.सं.	उपनियम संख्या	वर्तमान उपनियम	प्रस्तावित संशोधन उप नियम
1.	2.	**संस्था का कार्यक्षेत्र**	**संस्था का कार्यक्षेत्र**
		दौसा तहसील	सम्पूर्ण राजस्थान
2.	3.	**संस्था के उद्देश्य**	**संस्था के उद्देश्य**
		1. संस्थान समाज से नशाखोरी, दहेजप्रथा, बाल विवाह पर रोक लगाना	--
		2. खेलकूद प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।	--
		3. ग्राम में सफाई, जल व पुस्तकालय की व्यवस्था करना।	--
		4. अनौपचारिक शिक्षा व साक्षरता के प्रसार हेतु कार्यक्रम करना।	--
		5. महिला विकास एवं शिक्षा प्रसार	--
		6. सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम	--
		7. कृषि एवं लोककल्याण कार्यक्रम	--

संस्था के नये उद्देश्य

8. जल, जंगल, जमीन, संरक्षण कार्यक्रम
9. स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम
10. गरीबों को रोजी रोटी एवं आवास व्यवस्था हेतु प्रयास
11. कृषि व पशुपालन विकास कार्यक्रम
12. शोध एवं सर्वे कार्यक्रम
13. गैर परम्परागत उर्जा स्त्रोतों से सम्बन्धित कार्यक्रम
14. ग्राम स्वराज्य की स्थापना के प्रयास
15. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम
16. स्वयंसेवी संस्थाओं की नेटवर्किंग हेतु प्रयास
17. आपातकाल में सरकार एवं जनता को सहायता करना

अध्यक्ष   मंत्री   कोषाध्यक्ष

18. राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना के प्रयास
19. समाज से सामाजिक कुरूतियों को दूर करने के प्रयास
20. खेल एवं सांस्कृतिक प्रतिभाओं को प्रोत्साहन करना
21. शुद्ध जल एवं स्वच्छता हेतु प्रयास
22. शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार के कार्यक्रम
23. महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम

3. 4. **संस्था की कार्यकारिणी**

1. भागचन्द पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मीणा
2. रफीक मोहम्मद खां पुत्र श्री बदरूदीन खां
3. प्रभुदनारायण मीना पुत्र श्री गोवर्धनलाल मीना
4. नवलकिशोर शर्मा पुत्र श्री कल्याण सहाय शर्मा
5. विनोद कुमार शर्मा श्री किशनलाल शर्मा
6. राजकुमार मीना पुत्र श्री रामजीलाल मीना
7. मोतीलाल मीना पुत्र श्री रमसीलाल मीना
8. बिहारी लाल मीना पुत्र श्री छोटूलाल मीना
9. रघुनाथ मीना पुत्र श्री रामफूल मीना
10. ओमप्रकाश महावर पुत्र श्री छाजूराम महावर
11. परशुराम मीना श्री पुभुदयाल मीना

संस्था की नई कार्यकारिणी

1. श्री महेन्द्र मंगल पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता
2. सुश्री सीमा पंजाबी पुत्री श्री किशन लाल आनन्द
3. श्री प्रभुनारायण मीणा पुत्र श्री गोवर्धन लाल मीणा
4. श्री अजय गुप्ता पुत्र श्री अशोक गुप्ता
5. श्री विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री किशनलाल शर्मा
6. श्री मनमोहन शर्मा पुत्र श्री कैलाशचन्द्र शर्मा
7. रामफूल मीणा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण मीणा
8. सुश्री सरिता खण्डेलवाल पुत्री श्री रामअवतार खण्डेलवाल
9. श्रीमति भगवती देवी मीणा पत्नि श्री कल्याणसहाय मीणा
10. सुश्री सुमन चौहान पुत्री श्री रामचन्द्र बन्जारा
11. श्रीमति केशरदेवी मीणा पत्नि श्री जगदीश प्रसाद मीणा

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

कार्यालय–ग्रामीण विकास युवा संस्थान, दौसा

मधुवन विहार कॉलोनी,सैथल रोड, दौसा

तुलनात्मक स्टेटमेंट

विधान संख्या–3 में संशोधन	
विधान अनुसार संस्थान के पूर्व में उद्देश्य	संशोधित विधान अनुसार संस्थान के वर्तमान में उद्देश्य
संस्थान के उद्देश्य 1 से 23 तक यथावत है	विधान अनुसार क्रम संख्या 1 से 23 तक के उद्देश्य यथावत रखे गये है तथा क्रम संख्या 24 से 40 तक नये उद्देश्य बढाये गये जो निम्न प्रकार है:– 24. शिक्षा को बढावा देने हेतु आवासीय एवं गैर आवासीय विद्यालय एवं महाविद्यालयों की स्थापना कर संचालन करना। 25. तकनीकि शिक्षा को बढावा देने हेतु आईटीआई, एसटीसी, बी.एड., नर्सिंग, पॉलोटेक्निक, इंजिनियरिंग, आयुर्वेदिक, संगीत व नृत्य, कृषि की आधुनिक शिक्षा सहित कम्प्यूटर शिक्षा हेतु कॉलेजों की स्थापना कर संचालन करना। 26. नेत्रहीन, मूक–बधिर, मंद बुद्वि, विकलांग, असहाय, अनाथ एवं आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आवासीय एवं गैर आवासीय विद्यालयों की स्थापना कर उनके सवार्गीण विकास हेतु कार्य करना। 27. कृषि एवं पशुपालन सम्बन्धित गतिविधियों का संचालन करना। 28. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धित गतिविधियों का संचालन करना। 29. पेयजल एवं सिंचाई के साथ वर्षा जल के प्रबन्धन सम्बन्धित गतिविधियों का संचालन करना। 30. बाल विकास सम्बन्धित गतिविधियों का संचालन करना। जिसमें बन्धुआ एवं बाल श्रमिकों के उत्थान हेतु, शिशु गृह, किशोर गृह बालिका गृह, निराश्रिम बालगृह, अनाथालय आदि का संचालन करना। 31. महिला एवं बालिकाओं के विकास सम्बन्धित गतिविधियों का संचालन करना। जिसमें महिला सुधार गृह, कामकाजी महिलाओं का छात्रावास, बालिका छात्रावास इत्यादि हेतु कार्य करना। 32. वृद्धा एवं असहायों के विकास सम्बन्धित गतिविधियों का संचालन करना। जिसमें अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम इत्यादि की स्थापना कर संचालन करना। 33. विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिक विकास से सम्बन्धित गतिविधियों का संचालन करना। 34. शोध, सर्वे, मॉनिटरिंग, नेटवर्किंग हेतु कार्य करना। 35. किसान एवं श्रमिकों के उत्थान हेतु कार्य करना। 36. ~~बेरोजगारों को रोजगार दिलाने हेतु प्लेसमेंट एजेन्सी~~ का संचालन करना। 37. प्रदेश की पुरातात्विक धरोहर के संरक्षण हेतु कार्य करना। 38. योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धित गतिविधियों का संचालन करना। 39. महिला एवं पुरुषों को आत्म निर्भर बनाने हेतु स्वयं सहायता समूहों का गठन कर, ~~क्लस्टर एवं फेडरेशनों की स्थापना कर संचालन~~ करना। 40. हस्तशिल्पियों एवं हैण्डलूम बुनकरों के उत्थान हेतु प्रशिक्षण कार्य, डिजाईनिंग कार्य, कार्यशालाऐं, ~~विपणन सुविधाऐं, क्राफ्ट बाजार, एक्सपोर्ट आदि के द्वारा बाजार उपलब्ध करवाने हेतु कार्य~~ करना।

उक्त सोसायटी अधिनियम 1958 की धारा 19 के तहत यह प्रमाणित किया जाता है कि यह पत्रादि संस्था सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये जो कार्यालय की पत्रावली में पृष्ठ सं. 121...121 पर उपलब्ध कि प्रति है। प्रमाणित प्रति की तिथि 20-5-2017
नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार संस्थायें
दौसा

परवीन बानो
अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

कार्यालय–ग्रामीण विकास युवा संस्थान दौसा

मधुवन विहार कॉलोनी,सैथल रोड, दौसा

<u>तुलनात्मक स्टेटमेन्ट</u>

विधान संख्या–2 में संशोधन	
विधान अनुसार संस्थान का पूर्व में कार्यालय	संशोधित विधान अनुसार संस्थान का वर्तमान में कार्यालय
ग्राम पोस्ट सैंथल, तहसील व जिला दौसा (राज.) पिन नं. 303507	मेवाल भवन, शिवजी के मंदिर के पीछे, मधुवन विहार कॉलोनी, सैंथल रोड, दौसा जिला दौसा (राज.) 303303

विधान संख्या–4 में संशोधन	
विधान अनुसार संस्थान की पूर्व प्रबन्ध कार्यकारिणी	संशोधित विधान अनुसार संस्थान की वर्तमान प्रबन्ध कार्यकारिणी
1. अध्यक्ष–1 2. उपाध्यक्ष–1 3. मंत्री –1 4. उपमंत्री –1 5. कोषाध्यक्ष –1 6. सदस्य 07 कुल 11 सदस्यों की प्रबन्ध कार्यकारिणी है। साधारण सभा में कुल सदस्य 15 है।	1. अध्यक्ष–1 2. उपाध्यक्ष–1 3. मंत्री /सचिव–1 4. उपमंत्री/ उपसचिव–1 5. कोषाध्यक्ष–1 6. सदस्य–02 कुल 7 सदस्यों की प्रबन्ध कार्यकारिणी होगी। साधारण सभा में कुल सदस्य 15 है।

परवीन बानो
अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

राज. सोसायटी अधिनियम 1958 की धारा 19 के तहत यह प्रमाणित किया जाता है कि यह पत्रादि संख्या के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किये ... कार्यालय की पत्रावली में पृष्ठ सं. 120 से 120 ... उपलब्ध कि फोटो प्रति है। प्रमाणित ... की तिथि 20-5-2013
नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार संस्थाऐं
दौसा

कार्यालयः— ग्रामीण विकास युवा संस्थान, दौसा

मधुवन विहार कॉलोनी, सैथल रोड़ दौसा

आम सभा के प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 16.04.2017 को निर्वाचित प्रबन्ध कार्यकारिणी की सूची वर्ष 2017—18

क्र. सं.	नाम / पिता / पति का नाम	पद	व्यवसाय	पता
1.	श्रीमति परवीन बानो पत्नी श्री अब्दुल रहीम	अध्यक्ष	ग्रहणी	नागोरी मोहल्ला दौसा (राज.)
2.	श्रीमति माया देवी महावर पत्नि श्री प्रेमचन्द महावर	उपाध्यक्ष	प्रा. कार्य	ग्राम पोस्ट सैंथल, तहसील व जिला दौसा (राज.)
3.	श्री प्रभू नारायण मीना पुत्र श्री गोवर्धन लाल मीना	मन्त्री / सचिव	प्रा. कार्य	ग्राम चौरड़ी पोस्ट काबलेश्वर, तहसील व जिला दौसा (राज.)
4.	श्रीमति सुनिता शर्मा पत्नि श्री विजय कुमार शर्मा	उपमन्त्री / उपसचिव	प्रा. कार्य	ग्राम पोस्ट सिकन्दरा, तहसील सिकराय, जिला दौसा (राज.)
5.	श्री रमेश चन्द्र मीना पुत्र श्री रामफुल मीना	कोषाध्यक्ष	प्रा. कार्य	ग्राम बाढ़ छागला पोस्ट बिशनपुरा, तहसील व जिला दौसा (राज.)
6.	श्रीमति सन्तोष कंवर पत्नि श्री रमेश सिंह राजपूत	सदस्य	प्रा. कार्य	मारूति कॉलोनी दौसा, जिला दौसा (राज.)
7.	श्रीमति [illegible] शर्मा पत्नि श्री वि[illegible] शर्मा	सदस्य	प्रा. कार्य	झालरा का बास, वार्ड न. 09 दौसा जिला दौसा (राज.)

राज. संस्था अधिनियम 1958 की धारा 19 के तहत प्रमाणित किया जाता है कि [illegible] संख्या के [illegible] पत्र जो कार्यालय की पत्रावली में पृष्ठ सं. 211 से 212 तक उपलब्ध कि फोटो प्रति है। प्रमाणित देने की तिथि 23.5.2017
नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर [signature]

रजिस्ट्रार संस्थाएं
दौसा

Parvinbano
अध्यक्ष

मंन्त्री

कोषाध्यक्ष

प्रमाणित

निर्वाचन अधिकारी